भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय स्थापना अनुभाग

नई दिल्ली

पैनल में शामिल होने के लिए अनुरोध (आर एफ ई)

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के विभिन्न औषधालयों को औषधि/ दवाइयों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता/थोक व्यापारी/औषधि विक्रेताओं का पैनल बनाने की सूचना</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली अपने विभिन्न औषधालयों के लिए औषधि/दवाइयों की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता/थोक व्यापारी/औषधि विक्रेताओं (यहाँ पर इन्हें संक्षेप में औषधि विक्रेता कहा जाएगा) का एक पैनल तैयार करना चाहता है। आपूर्तिकर्ताओं के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के आधार पर यह पैनल तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

बैंक ऐसे औषधि विक्रेताओं से आवेदन आमंत्रित करता है जो पैनल में शामिल होने के इच्छुक हैं ।वे औषधि विक्रेता जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और अन्य शर्तों तथा निबंधों पर सहमत होते हैं, निर्धारित फार्म में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय स्थापना अनुभाग, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 को आवेदन करें । आवश्यक संलग्नकों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र मुहरबंद लिफाफे में **<u>"दवाइयों की आपूर्ति हेतु औषधि विक्रेताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"</u>** शीर्षक के अंतर्गत 28 मई 2015 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। बैंक के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए, प्राप्त किसी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है ।

1 पात्रता

(क) दवा विक्रेता के पास निर्धारित फॉर्म (फॉर्म 20, 20 ख, 21, 21 ख, और 21 ग) मे आवेदन की तिथि पर वैध लाइसेंस होना चाहिए जो औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार यथा लागू तथा अन्य किसी प्रचलित कानून के अंतर्गत राज्य के औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा एलोपैथिक औषधियों की विभिन्न कोटियों के लिए जारी किया गया हो। उनके पास ऐसे सभी अन्य लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुमति पत्र होने चाहिए जो दवाओं का कारोबार करने/बेचने के लिए आवश्यक है। पैनल में शामिल किए गए दवा विक्रेता को यह भी सुनिश्चित करना होगा और वचन पत्र देना होगा की उनके सभी लाइसेंस संविदा अवधि की समाप्ति तक वैध रहेंगे।

(ख) दवा विक्रेता को राज्य के औषधि अधिकारियों द्वारा दंडित नहीं किया गया हो और औषधि तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत कोई मामला विचारधीन नहीं हो।

(ग) दवा विक्रेता का पिछले तीन वर्षो का न्यूनतम वार्षिक कारोबार एक करोड़ छह लाख रुपए का होना चाहिए।

(घ) दवा विक्रेता के पास इस प्रकार की कोई कारोबारी व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात पिछले दो वर्षो के दौरान कम से कम एक सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में दवाओं की आपूर्ति के पैनल में शामिल होना चाहिए।

(ङ) दवा विक्रेता को उन सभी दवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सहमत होना चाहिए जिसे बैंक चाहता है चाहे इनका ब्रांड अथवा निर्माता कोई भी हो। क्रय संविदा के निष्पादन के पश्चात ऐसा न करने पर, जैसा कि दस्तावेज़ मे अन्यत्र भी वर्णित है, निष्पादन गारंटी स्वतः जब्त हो जाएगी।

(च) दवा विक्रेता को किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा प्रतिबंधित सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं डाला गया हो।

(छ) दवा विक्रेता की दुकान/प्रतिष्ठान उसी शहर/कस्बे मे होना चाहिए जहाँ पैनल बनाया जा रहा हो।

(ज) दवा विक्रेता के पास वैट अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(झ) दवा विक्रेता के पास कंप्यूटरीकृत बिलिंग व्यवस्था होनी चाहिए।

II निबंधन और शर्तें

1. कार्यक्षेत्र

बैंक प्रतिवर्ष एक बार पैनल में शामिल किए गए दवा विक्रेताओं को दवाओं की आपूर्ति के लिए एक कोटेशन के लिए अनुरोध जारी करेगा जो एक सांकेतिक सूची के आधार पर होगा और जिसमें वर्ष के दौरान अनुमानित जरूरतों का व्यापक रूप में उल्लेख होगा। बैंक एक या अधिक उन दवा विक्रेताओं के साथ एक वार्षिक क्रय संविदा करेगा जो सर्वाधिक समान छूट देंगे। दवा विक्रेता वर्ष के दौरान जिस बैंक कार्यालय से वह संबद्ध है उसके द्वारा समय-समय पर जारी माँगपत्र के आधार पर, निर्धारित समय में और निर्धारित स्थान पर, सहमत छूट दर पर, दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करेगा। यह बात उल्लेखनीय है कि बैंक सर्वाधिक छूट प्रदान करने वाले दवा विक्रेताओं से ही दवाओं की अपनी सभी जरूरतों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह दो या अधिक दवा विक्रेताओं के बीच अपनी खरीद को खंडित/विभाजित कर दे। बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त कर सकता है।

2. मूल्य-निर्धारण

बैंक के कोटेशन के लिए अनुरोध के जबाब में, दवा विक्रेता संविदा के अंतर्गत की जाने वाली आपूर्ति की सभी मदों के संबंध में स्ट्रिप/बोतल/पैक्ड यूनिट पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर समान छूट को प्रतिशत मे कोट करेगा चाहे उनका ब्रांड अथवा निर्माता कोई भी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि कानून के अंतर्गत लगाए जाने वाले किसी शुल्क, लेवी अथवा कर को चुकाने का दायित्व दवा विक्रेता का होगा। दवा विक्रेता को बैंक द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर आपूर्ति के लिए सही पैकेजिंग, कार्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन के सभी व्ययों आदि को भी वहन करना होगा। बैंक केवल लेबल पर लिखे अधिकतम मूल्य से छूट को घटाकर ही भुगतान करेगा। कोट किया गया प्रस्ताव संविदा की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध रहेगा।

3.निष्पादन प्रतिभूति गारंटी

उपर्युक्त निर्धारित के अनुसार, बैंक के साथ वार्षिक क्रय संविदा करने के पश्चात, दवा विक्रेता को 21 लाख रुपये की एक निष्पादन बैंक गारंटी या तो अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 18 माह के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति पर देय ब्याज, यदि कोई है, के लिए बैंक (क्षेत्रीय निदेशक. भारिबै, नई दिल्ली) पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।

<u>निष्पादन बैंक गारंटी संविदा की वैधता अवधि से आगे छह महीने तक वैध रहेगी</u>

निष्पादन प्रतिभूति की राशि को जब्त कर लिया जाएगा यदि इस संविदा के अनुसरण में मांग पत्र के अनुसार, अधिकृत दवा विक्रेताओं के द्वारा आपूर्ति की गई दवाइयाँ बाद में चोरी की हुई अथवा गुण के अनुरूप नहीं पाई जाती है। निष्पादन प्रतिभूति को ज़ब्त कर लिया जाएगा यदि अधिकृत दवा विक्रेता :

i) संविदा की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है अथवा
ii) घटिया, नकली औषधियाँ, विकल्पी दवाइयां आपूर्ति करता है।
iii) आपूर्ति में विलंब करता है।
iv) अधिक मूल्य वसूलता है

4. संविदा की अवधि

क) पैनल में शामिल होने की संविदा अवधि तीन वर्ष की होगी बशर्ते कि निष्पादन संतोषजनक हो।
ख) वार्षिक क्रय संविदा के सबंध में, दवाइयों की आपूर्ति के लिए आदेश, संविदा की अंतिम तारीख तक दिए जाएंगे। समाप्ति तिथि पर भी मिले आदेशों का संविदा की शर्तों के अनुसार पालन करना होगा चाहे संविदा की अंतिम तारीख दवाओं की आपूर्ति की तारीख तक समाप्त क्यों ना हो गई हो।

5. पात्रता निर्धारित करने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए :

क) आवेदन की तारीख पर दवा विक्रेता के पास वैध लाइसेंस की स्व प्रमाणित प्रतियां।

ख) राज्य औषधि नियंत्रक के अदण्ड प्रमाण पत्र की प्रति जिसके अनुसार औषधि और सौंदर्य सामग्री प्रसाधन अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाई गयी नियमावली और समय समय पर जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत फर्म के विरुद्ध कोई मामला विचाराधीन नहीं है। इसके स्थान पर इस आशय का एक शपथ पत्र स्वीकार्य होगा।

ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के तुलन-पत्र की प्रतियाँ जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हों

घ) किसी ग्राहक से ग्राहक रिपोर्ट जैसा की अनुबंध II के फॉर्मेट के अनुसार पैरा (1, घ) में दिया गया है।

ड़) अनुबंध III के फॉर्मेट के अनुसार दवा विक्रेता के बैंकर का बैंकर प्रमाण पत्र ।

च) बिक्री कर पंजीकरण की प्रति।

छ) वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

ज) दवा विक्रेता को आबंटित पैन की एक प्रति।

6. आवेदन के लिए क्रियाविधि

इन दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा अंत में मुहर लगाई जानी चाहिए और सभी निर्धारित दस्तावेजों को विधिवत भरे हुए आवेदन फार्म के साथ संलग्न करके भेजा जाना चाहिए। योग्य औषधि विक्रेता सूचना की मद संख्या 5 पर दिये गए विवरण के अनुसार, दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन को लिफाफे में मुहरबंद करके **"दवाइयों की आपूर्ति हेतु औषधि विक्रेताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"** शीर्षक लिखकर प्रस्तुत करें। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय स्थापना अनुभाग, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जाने चाहिए और सभी आवेदन कार्यालय में 28 मई 2015 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए।

औषधि विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा कि उसका आवेदन नियत तिथि और समय पर अथवा उससे पहले कार्यालय में जमा कर दिया गया है। बैंक डाक में विलंब अथवा मार्ग में देरी सहित किसी कारण के चलते, निर्धारित तिथि और समय के अंतर्गत आवेदन नहीं प्राप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पैनल में शामिल होने के लिए अनुरोध संबंधी दस्तावेजों की तैयारी से संबन्धित सम्पूर्ण लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी।

7. एक या सभी आवेदनों का स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार

निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त अथवा किसी भी तरह से अधूरे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। बैंक बिना कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी एक अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अधिकार सुरक्षित रखता है कि बिना कोई कारण बताए, पैनल को किसी भी समय समाप्त (scrap) कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को यह अधिकार है कि वे बैंक के हित में, अपने विवेक के आधार पर, इस दस्तावेज में किसी भी अपेक्षा को संशोधित/परिवर्तित कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करना उचित समझें। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

8. स्वीकृति की अधिसूचना

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के द्वारा एक पत्र के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति की सूचना दी जाएगी ।

9. सपुर्दगी और आपूर्ति के लिए मांगपत्र

ए) बैंक से आपूर्ति के लिए मांगपत्र प्राप्त होने पर, मांगपत्र से संबंधित आपूर्ति की सम्पूर्ण सपुर्दगी जितनी जल्दी हो सके, लेकिन तीन कार्य दिवसों के भीतर, औषधालय के कार्य समय के दौरान बैंक औषधालय के उस परिसर में की जाएगी जहां से माँगपत्र संबन्धित है ।

बी) यदि माँगपत्र दवाओं के विशिष्ट ब्रान्ड के लिए है तो ब्रान्ड को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। अन्य मामलों में केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की अनुसूची 'एम' के निर्धारणों के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

सी) आपूर्ति निर्माता की मूल पैकिंग में की जानी आवश्यक है। किसी विशिष्ट दवा/औषधि की पैकिंग मांगपत्र की कुल मात्रा के लगभग नजदीक होनी चाहिए।

डी) हर दवा की पैकिंग पर दवा की भंडार और उपयोग होने तक की अवधि अंकित होती है । आपूर्ति के समय इन दवाइयों कि शेल्फ लाइफ की आधे से अधिक अवधि शेष होनी चाहिए।

ई) आपूर्तिकर्ता संबंधित औषधालयों को दवाओं/ औषधियों की आपूर्ति के समय केमिस्ट बैच नंबर, निर्माता का नाम, एक्सपायरी तिथि का उल्लेख मांगपत्र में करेगा।

एफ) औषधि विक्रेता 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाओं/औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं करेगा।

10. बिलों की प्रस्तुति

ए) औषधि विक्रेता उस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करेगा जहाँ आपूर्ति की गयी है । बिल में आपूर्ति का स्पष्ट विवरण जैसे कि वस्तु का नाम, मात्रा, दर, छूट की राशि, निर्माता का नाम, बैच नंबर, निर्माण व एक्सपायरी की तिथि, तिथि सहित मांगपत्र की संख्या आदि तथा बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी आदि।

बी) बिल मूल मांगपत्र के साथ-साथ बैंक औषधालय के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर सहित, दवाइयों की प्राप्ति (Receipt) के प्रमाण पत्र से समर्थित होना चाहिए।

सी) उपरोक्त (ए) और (बी) में दिए विवरण के अनुसार समर्थित नहीं होने पर अधूरे बिल पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. भुगतान

प्रस्तुत बिल का भुगतान सामान्यत: बिल की प्रस्तुति की तारीख से 10 कार्य दिवसों में करने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि औषधि विक्रेता बिल भुगतान में किसी भी कारण से हुई देरी के लिए बैंक से ब्याज अथवा नुकसान के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा। भुगतान ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए औषधि विक्रेता को बैंक खाता संख्या, पता आदि का अपेक्षित विवरण देना होगा।

12. भ्रष्ट, कपटपूर्ण या अनैतिक व्यवहार

बैंक अपेक्षा करता है कि औषधि विक्रेता दवाओं की खरीद और आपूर्ति के लिए संविदा के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेगा । आपूर्ति की जाने वाली दवाईयाँ/ औषधियाँ की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिए । इसके अनुसरण में शर्तें इस प्रकार से रखी गईं हैं :-

ए) औषधि विक्रेता पैनल बनाने की प्रक्रिया या संविदा निष्पादन के दौरान बैंक के किसी अधिकारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए कोई भी मूल्यवान भेंट देने या प्राप्त करने की पेशकश नहीं करेगा।

बी) औषधि विक्रेता, पैनल प्रक्रिया या संविदा निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा जिससे बैंक के हितों को हानि पहुँचे ।

सी) किसी भी समय यदि यह निर्धारित होता है कि औषधि विक्रेता संविदा निष्पादन के लिए भ्रष्ट और कपटपूर्ण पद्धति में संलिप्त है तो बैंक द्वारा औषधि विक्रेता को अनिश्चित काल अथवा निर्धारित समय अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

डी) बैंक अपने विवेक के आधार पर संविदा के उल्लंघन के लिए, किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कारणों से औषधि विक्रेता के साथ की गयी संविदा को पूरा अथवा उसके किसी भाग को समाप्त कर सकता है।

(i) घटिया /नकली/स्थानापन्न दवाओं की आपूर्ति
(ii) आपूर्ति में देरी / आपूर्ति से इंकार / दवाओं की आपूर्ति न करना।
(iii) बिल में अधिक कीमत लगाना।
(iv) अगर यह पाया जाता है कि किसी दवाई की तिथि समाप्त हो गई है या समाप्ति के नजदीक है।
(v) यदि औषधि विक्रेता संविदा के अंतर्गत अन्य किसी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।
(vi) बैंक के मतानुसार वह भ्रष्ट और कपटपूर्ण पद्धति में संलिप्त है।

ई) भुगतान के पहले अथवा भुगतान के पश्चात अनुवर्ती समीक्षा में उपरोक्त (डी) के अंतर्गत दर्शाया गया कोई भी मामला जानकारी में आता है तो बैंक द्वारा भुगतान की जा चुकी विवादित/अधिक राशि औषधि विक्रेता द्वारा वापिस की जाएगी, प्रश्नाधीन दवाइयों को बदला जाएगा। बैंक देय भुगतान को रोक सकता है अथवा औषधि विक्रेता को देय राशि में से ऐसी आपूर्तियों की लागत को वसूल कर सकता है ।

13. सर्वोत्तम व्यवहारों को लागू करना

यदि औषधि विक्रेता, जिसके साथ बैंक ने वार्षिक क्रय संविदा किया है , संविदा के चालू रहने के दौरान किसी व्यक्ति अथवा संगठन को अधिक छूट देता है अथवा बैंक की संविदा के समान बिक्री की शर्तों पर दवाएँ बेचता है या बेचने का प्रस्ताव रखता है तो बैंक पर लागू छूट की दरें संविदा के अंतर्गत परवर्ती सभी आपूर्तियों पर उस तिथि से स्वयमेव बढ़ जाएंगी और संविदा तदनुसार संशोधित हो जाएगी । अन्य समानान्तर आपूर्तिकर्ताओं को, अपना मूल्य घटाने का अवसर दिया जाएगा और संशोधित मूल्य की सूचना देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा । यदि वे ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं तो वे मुहर बंद लिफाफे में इन्हें प्रस्तुत करें , जिसे निश्चित तिथि और समय पर जनता के बीच खोला जाएगा तथा सर्वोत्तम व्यवहार के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

14. क्षतिपूर्ति

औषधि विक्रेता को बैंक के विरुद्ध सभी कार्यों , मुकदमों, दावों और इस संविदा के किसी कार्य के निष्पादन अथवा संबंध में औषधि विक्रेता द्वारा किए गए किसी कार्य या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए और किसी कार्य के फलस्वरूप बैंक को हुई हानि अथवा क्षति के लिए अथवा इस संविदा के निष्पादन में किए गए और किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए या औषधि विक्रेता के विरुद्ध किए गए किसी भी मुकदमे के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

15. मध्यस्थता

यह संविदा आपसी विश्वास पर आधारित है । दोनों ही पक्ष इस कार्य कों सद्भावना से करने के लिए सहमत हैं । यदि संविदा के संबंध में या उसके कारण बैंक और बोलीकर्ता के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद होता है (जिसके लिए कोई निर्णय उपलब्ध नहीं है), चाहे यह संविदा अवधि अथवा पूर्णता के दौरान हो और चाहे यह संविदा के परिसमापन, परित्याग अथवा भंग करने से पहले या बाद में हो, इसे मुख्य महा प्रबन्धक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को भेजा जाएगा और केवल उनकी मध्यस्थता से ही विवाद को निपटाया जाएगा। वे बोलीकर्ता को अपना निर्णय लिखित में देंगे। मुख्य महा प्रबन्धक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

xxxxxxxxxxxxxxx

अनुबंध – I

भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दवाइयों की आपूर्ति हेतु औषधि विक्रेताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

क्रम सं.	मद	विवरण
1.	औषधि विक्रेता का नाम	
2.	गठन (कंपनी/साझेदारी/ स्वामित्व)	
3.	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी, पंजीकरण सं. और दिनांक)	
4.	व्यवसाय के आरम्भ का वर्ष	
5.	बिक्री कर संख्या	
6.	पैन नम्बर	
7.	क्या उत्पादक / प्राधिकृत वितरक / व्यापारी/ एजेंसी	
8.	बैंक के प्रति प्रतिबद्ध बनाने के लिए प्राधिकृत मालिक/ साझेदार/ निदेशक/ अधिकारी का नाम व पदनाम	
9.	टेलीफोन नं. मोबाइल नं. ई-मेल	
10.	डाक पता	
11.	क्या औषधि विक्रेता औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऐलोपैथिक औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन की तिथि को वैध लाइसेंस रखता है? लाइसेंसों का ब्यौरा दीजिए।	
12.	क्या औषधि विक्रेता राज्य औषध नियंत्रक द्वारा दोषी ठहराया गया है अथवा क्या औषधि विक्रेता के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और साथ ही समय- समय पर जारी औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कोई मामला लम्बित है?	
13.	क्या औषधि विक्रेता के पास वैट अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध है?	

14.	क्या बिलिंग प्रणाली कंप्यूटरीकृत है?	
15.	सर्वोत्तम कीमत मानक के लिए करार (पैरा 13 देखें)	
16.	औषधियों की थोक आपूर्ति के लिए औषधि विक्रेता के सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र/ कॉरपोरेट ग्राहकों के नाम। इसके अलावा सम्पर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नं. दें।	
17.	प्रधान बैंकर का नाम और पता कृपया फोन नं. भी दें।	

मैंने औषधियों की आपूर्ति के लिए औषधि विक्रेताओं के पैनल ने शामिल होने हेतु पात्रता मानदंड और निबंधन एवं शर्तों से युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सूचना को पढ़ और समझ लिया है। मैं इन निबंधन एवं शर्तों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं यह भी समझता हूं कि किसी भी कारण को बताए बिना बैंक किसी एक को स्वीकार या किसी एक या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

हस्ताक्षर

नाम :
पदनाम :
दिनांक :

नोट : नोटिस की मद सं. 5 में बताए अनुसार दस्तावेजों की प्रतियों सहित उक्त फॉर्मेट में सभी तरीके से पूरा आवेदन ऊपर **"दवाइयों की आपूर्ति हेतु औषधि विक्रेताओं के पैनल ने शामिल होने के लिए आवेदन"** शीर्षक लिखकर मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

अनुबंध – II

कार्य निष्पादन के संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

(अलग से भरा और मुद्रित किया जा सकता है)

ग्राहक का नाम और पता :

श्री / मैसर्स ..... द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरा
(औषधि विक्रेता का नाम)

1. संक्षिप्त ब्यौरे के साथ कार्य का नाम :

2. करार संख्या और दिनांक

3. करार राशि :
   (अनुमान भी स्वीकार्य हैं)

4. निबंधनों के गैर- निष्पादन या गैर – पालन के लिए यदि कोई हो, लगाए गए दंड (राशि सूचित करें):

5. उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नं. और ई-मेल आईडी जिसके तहत आपूर्ति निष्पादित की गई:
   नाम व पदनाम :

   टेलीफोन नं. :

   ई-मेल :

6. औषधि विक्रेता की क्षमताओं पर टिप्पणियां :
   क) तकनीकी दक्षता
   ख) वित्तीय सुदृढ़ता
   ग) समयबद्धता का पालन
   घ) काम की गुणवत्ता
   ङ) सामान्य व्यवहार

अधोहस्ताक्षरी इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम है।

"प्रतिहस्ताक्षरित"

कार्यालय की मोहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सम्पर्क संख्या

अनुबंध – III

बैंकर का प्रमाण पत्र

सेवार्थ

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली – 110001

अनुसूचित बैंक से बैंकर का प्रमाण पत्र

जहां तक हमारा ज्ञान और जानकारी है यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स/ श्री ..... हमारे बैंक के सम्मानजनक ग्राहक हैं और .....रू. (..... रू.) की सीमा तक किसी भी वचनबद्धता के लिए ठीक माने जा सकते हैं।
यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर किसी भी गारंटी या दायित्व के बिना जारी किया जाता है।

बैंक के लिए

(मोहर सहित हस्ताक्षर)
दिनांक :
नाम और पदनाम
बैंक के लिए

नोट :

1. बैंकर का प्रमाण पत्र उस बैंक के पत्रशीर्ष पर, कवर में मुहरबंद और सूचीबद्ध प्राधिकारी को सम्बोधित होना चाहिए।
2. साझेदार फर्म के मामले में, बैंक में दर्ज रूप में सभी साझेदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।